न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 354/2018

आरसीएमएस नं. 2018/00478

हरमेन्द्र सिह पुत्र श्री जीत सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

अंग्रेज सिह पुत्र श्री जीत सिह जाति कुम्हार सिख निवासी सलेमगढ तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेण्ट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी
दिनांक 05.11.2018 प्रकरण संख्या 20/2013
अनवान हरमेन्द्र सिह बनाम अंगेज सिह आदि

श्री योगेश झोरड़ अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री राजीव कुलश्रेष्ठ अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 14.7.25

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया वाद पत्र में कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी तथा प्रतिवादीगण के पिता जीतसिंह पुत्र बचनसिह के नाम चक 14 जीजीआर की खाता संख्या 62/ में 0.708 है0 भूमि जामबन्दी में दर्ज थी जो पुश्तैनी कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण तथा प्रतिवादीगण का कानूनी अधिकार है। जीसने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि को अपने पुत्रों में बंटवारा कर दिया व बंटवारा के अनुसार काश्त करते हैं। दिनांक 22.06.2012 को प्रार्थी एवं अप्रार्थी तथा प्रतिवादीगण का पुनः पंचायत में दिनांक को लिखित बंटवारा हुआ। प्रार्थी अपने को बंटवारा में मिली भूमि चक 14 जीजीआर की पत्थर नं. 182/297 किला नं. 23 की 0.253 है0 भूमि है। स्व0 जीतसिह की मत्यु के समय उसकी आयु 90 वर्ष से ज्यादा थी उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था उसकी हालत बहुत खराब थी व दिमागी हालत भी खराब थी। जीतसिंह ने अपनी इच्छा से बेयनामा तथा दानपत्र अप्रार्थी के पक्ष में तहरीर व तकमील व निष्पादित नही करवाये थे। अप्रार्थी ने फर्जी बैयनामा वा दानपत्र के जरिये अर्थात दोनों दस्तावेज कूटरचित कर बिना इच्छा व ज्ञान जीत सिंह के निष्पादित करवाये हैं। फर्जी व कूटरचित दस्तावेज फर्जी व बिना प्रतिफल के हैं जो आरम्भतः ही शून्य है। अप्रार्थी ने भूमि उसके नाम बाला बाला बिना अधिकार लगवा ली है जबकि उसका कब्जा कभी प्रार्थी की भूमि वादग्रस्त पर नहीं रहा है। अप्रार्थी ताकत के बल पर प्रार्थी की फसल जबरदस्ती काटकर ले जाने व भूमि पर कब्जा करने की व भूमि को विक्रय करने व खुर्द बुर्द करने की धमकी दे रहा है अगर अप्रार्थी अपनी इस मंशा में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को होने वाली क्षति का मुल्यांकन नहीं हो सकेगा व उसे ना पूरा होने वाला नुकसान हो। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया अप्रार्थी के पिता के नाम चक 14 जीजी मे लगभग 29 बीघा जमीन थी जो उसने अपने जीवकाल में मुताबिक बंटवारा जरिये डिक्री अपने मुत्रों के नाम करवा दी तथा प. नं. 182/297 में किला नं. 8/.202, 9, 13, 18, हि की 1.214 है0 भूमि अपने स्वयं के नाम रखी। दिनांक 13.03.2012 को जीत सिह ने विवादित आराजी अप्रार्थी को जरिये दानपत्र दे दी जिसका इंतकाल संख्या 651 से राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज हो गया। जीतसिह ने दानपत्र अपनी स्वतन्त्र इच्छा से निष्पादित करवाया था। बंटवारानामा दिनांक 22.06.2012 में जीतसिंह के हस्ताक्षर नहीं है। अप्रार्थी रिकार्डेड टिनेंट है एवं प्रश्गनत आरजी पर कब्जा काश्त है। जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश गलत, विधि विरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत है जो काबिल खारिज है। अपीलाण्ट के हित को सुरक्षित करना अदालत का दायित्व है लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के हितों की और गौर न कर कानूनी भूल की है। पैतृक सम्पति होने के कारण अधीनस्थ न्यायलाय ने कोई गोर नही किया है। अपीलाण्ट के हक हिस्से की आराजी का रेस्पोडेण्टान अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन का फायदा उठते हुए रहन बैय आदि द्वारा अन्तरित करने हेतु उतारू है जबकि घोषणा बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष वाद जैरकार है तथा अगर वाद के निर्णय से पूर्व रेस्पोडेण्टान अपने उक्त गैर कानूनी कृत्य में कामयाब हो जाते हैं तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू अपीलाण्ट के पक्ष में है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थी के पिता के नाम चक 14 जीजी मे लगभग 29 बीघा जमीन थी जेा उसने अपने जीवकाल में मुताबिक बंटवारा जरिये डिक्री अपने पुत्रों के नाम करवा दी तथा प. नं. 182/297 में किला नं. 8/.202, 9, 13, 18, हि की 1.214 है0 भूमि अपने स्वयं के नाम रखी। दिनांक 13.03.2012 को जीत सिह ने विवादित आराजी अप्रार्थी को जरिये दानपत्र दे दी जिसका इंतकाल संख्या 651 से राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम दर्ज हो गया। जीतसिह ने दानपत्र अपनी स्वतन्त्र इच्छा से निष्पादित करवाया था। बंटवारानामा दिनांक 22.06.2012 में जीतसिंह के हस्ताक्षर नहीं है। अप्रार्थी/रेस्पोडेण्ट रिकार्डेड टिनेंट है एवं प्रश्गनत आरजी पर कब्जा काश्त है। जिसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नामान्तरण रजिस्टर ग्राम 14 जीजीआर पटवार हल्का सलेमगढ के अनुसार अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट के पिता जीतसिंह द्वारा अपनी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

भूमि का बंटवारा जरिये डिक्री अपने पुत्रों के मध्य कर दिया था। जिसमें प. नं. 182/297 किला नं. 9,13, 18, 24 की 1.012 है0 आराजी जीत सिंह को प्राप्त हुई। जीत सिंह के नाम दर्ज आराजी किला नं. 23 जरिये दानपत्र इन्तकाल संख्या 651 दिनांक 07.02.2013 रेस्पोडेण्ट अंग्रेज सिह के नाम दर्ज है। बंटवारानामा की छाया प्रति से यह बंटवारा दिनांक 22.06.2012 को होना प्रकट होता है जबकि दानपत्र के जरिये इन्तकाल संख्या 651 दिनांक 07.02.2013 द्वारा प्रश्नगत आराजी किला नं. 23 इस पारिवारिक बंटवारे से पूर्व ही रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो चुकी थी। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट प्रश्नगत आराजी का रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू रेस्पोडेण्ट के पक्ष में है। रेस्पोडेण्ट प्रश्नगत भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। यदि उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो वह अपनी भूमि के उपयोग, उपभोग करने से वंचित हो जायेगा जिससे उसे अपूर्णीय क्षति होगी। अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप किया जाना उचित हो। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.11.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

निर्णय आज दिनांक 14.7.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.7.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
(करतारसिंह पूनिया)
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़